ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/14 से 3/17

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती सुशीला कुमारी	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	**नाम**	**अवधि**
1	श्री ईश्वर दास	1.4.14 से 24.11.16
2	श्री ललित कुमार	25.11.16 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बैहल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	7.96
2	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.51
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	15.52
5	7	पंचायत निधि का दुर्विनियोजन/गबन	0.03
6	8	औपचारिकताओं के बिना स्टॉक का क्रय	1.79
7	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.86
8	10	व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.01

भाग—दो

2 वर्तमान अकेंक्षणः—

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.7.2017 से 5.8.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	09/14	08/2014
2015—16	03/16	07/2015
2016—17	03/17	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 5.8.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 527639 दिनांक 16.8.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत बैहल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः—

(1) स्व स्त्रोतः— ग्राम पंचायत बैहल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	307493.53	26940	334433.53	88218	246215.53
2015—16	246215.53	21780	267995.53	75482	192513.53
2016—17	192513.53	89096	281609.53	64018	217591.53

(2) अनुदानः— ग्राम पंचायत बैहल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	637885.47	1929388	2567273.47	2198983	368290.47
2015—16	368290.47	1962394	2330684.47	1889697	440987.47
2016—17	440987.47	3090289	3531276.47	1979391	1551885.47

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में दिनांक 31.3.17 को ₹7.96 लाख का भारी अन्तरः—

स्वः स्त्रोतः—

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष		217595.33
अनुदानः—		
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष		1551885.47
	कुल योग	1769481
दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का अन्तशेष **(संलग्न परिशिष्ट—II)**		**2622917.73**
हस्तगत राशि		शून्य
	कुल योग	2622917.73
	अन्तर	**853436.73**
अन्तर का कारणः—		
(i) दिनांक 31.3.2017 से पूर्व जारी किया चैक जिनका भुगतान बैंकों द्वारा 31.3.2017 के बाद हुआ **(संलग्न परिशिष्ट—III)**		57214
शेष अन्तर		796222.73

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के अन्तशेष के साथ मिलान न करने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अभी भी ₹796222.73 का अन्तर है, जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01, दिनांक 2.8.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

4.2 <u>रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः—</u>

ग्राम पंचायत बैहल की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002

के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.51 लाख वसूली हेतु शेषः–

ग्राम पंचायत की स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेखों से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट IV, V** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹46435 तथा दुकानों का किराया ₹5020 कुल ₹51455 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹15.52 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1551885 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 पंचायत निधि ₹0.03 लाख का दुर्विनियोजन/गबनः–

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त स्वः स्त्रोतों की आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में प्राप्त आय को न तो रोकड़ बही में इन्द्राज किया गया है और न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया। अतः इस ₹2910 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से अतिशीघ्र करके निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में सभी प्राप्तियों/आय को पंचायत निधि में तुरन्त जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	रसीद सं0/दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	167, 168 दिनांक 28.10.14	श्री राजेश कुमार से माह 09 तथा 10/14 की किराया	400
2	167169 दिनांक 10.11.1	श्री सतीश से प्राप्त विविध आय	50
3	167170 दिनांक 15.11.14	श्री नरेन्द्र से प्राप्त 10 तथा 11/14 का किराया	200
4	167174 दिनांक 8.12.14	श्री राजेश से प्राप्त 11/14 का किराया	200
5	167171 दिनांक 30.7.14	श्रीमती सुशीला कुमारी से वर्ष 2011–12 के वाउचर संख्या 63 से सम्बन्धित वसूली	1360
6	41201 दिनांक 3.11.16	श्री राजेश कुमार से प्राप्त माह 9/16, 10/16 तथा 11/16 का किराया	600
7	41202 दिनांक 3.11.16	श्री नरेन्द्र से प्राप्त माह 10/16 का किराया	100
		कुल योग	**2910**

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.79 लाख के सामान का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) तथा 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं निविदाऐं आमन्त्रित करना आदि प्रावधित है। चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–VI** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹179498 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का कय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 क्रय सामग्री ₹2.86 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों मे पंचायत द्वारा ₹285564 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि उससे सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 के विरूद्ध होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। इन सभी मामलों का विवरण **परिशिष्ट–VII** में संलग्न है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टरों में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

10 व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में भुगतान वाउचर बनाकर पंचायत द्वारा तो किया गया परन्तु इन भुगतानों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अर्थात बिल/वाउचर आदि अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) (2) के विरूद्ध है। अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹101318 के अनियमित भुगतान की वसूली, उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	निधि का नाम	वा0सं0/माह	राशि	कार्य का नाम
1	मनरेगा	71 माह 8/14	17864	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक पैडी नाले का तटीकरण
2	–यथोपरि–	72 माह 8/14	13090	–यथोपरि–
3	–यथोपरि–	73 माह 8/14	14014	–यथोपरि–
4	मनरेगा	74 माह 8/14	7854	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पास पैडी नाले का तटीकरण
5	–यथोपरि–	89 माह 8/14	15246	–यथोपरि–
6	–यथोपरि–	90 माह 8/14	9702	–यथोपरि–
7	–यथोपरि–	91 माह 8/14	12782	–यथोपरि–
8	–यथोपरि–	92 माह 8/14	8162	–यथोपरि–
9	–यथोपरि–	93 माह 8/14	1694	–यथोपरि–

10	सामान्य निधि	42 माह 8/14	910	रोकड़ बही पृ0 5 पर प्रविष्टि के अनुसार क्रय स्टेशनरी
		कुल योग	**101318**	

11 मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण न करवानाः–

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित व्ययों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त हुए अनुदानों द्वारा अधिकतर कार्य निजि भूमि के विकास के रूप में ही करवाये गये तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11060/3/2009 नरेगा दिनांक 1.9.2009 के अनुसार निजि जमीन पर करवाये गए विकासात्मक कार्यों का ग्राम पंचायत द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति से सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, परन्तु उक्त समिति से कभी भी ऐसे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं करवाया गया है। अतः पंचायत द्वारा निजि भूमि पर नरेगा के अन्तर्गत करवाये गए/करवाये जाने वाले सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनियिचत किया जाये।

12 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है परन्तु पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13 विहित रजिस्टरों का अनुरक्षण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित/आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(1) अनुदान रजिस्टर

(2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर

(3) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(4) गृहकर तथा किराया मांग व संग्रह रजिस्टर

(5) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(6) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) रजिस्टर

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण में पाई जाने वाली लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया तथा इस विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत बैहल के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 29/2017–खण्ड–1–677–680 दिनाँक 24.01.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बैहल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046